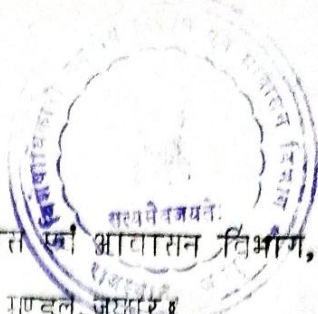


नगरपालिका विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, .
हाल का लागि-राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।



क्रमांक:- 1

दिनांक: 2-1-89

- वाट संख्या:-
- 1- 1/021421
 - 2- 1/021731
 - 3- 1/021741
 - 4- 1/021751
 - 5- 1/021761
 - 6- 1/021771
 - 7- 1/021781
 - 8- 1/021791
 - 9- 1/021801
 - 10- 1/021811
 - 11- 1/021821
 - 12- 1/021831
 - 13- 1/021861
 - 14- 1/021871
 - 15- 1/021881
 - 16- 1/021891
 - 17- 1/021931
 - 18- 1/021941
 - 19- 1/021971
 - ✓ 20- 1/021991
 - 21- 1/0211021
 - 22- 1/02111पार्ट-131

अधिकारी
नगर विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ
आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि
का आंशिक अवाई योजना मानसरोवर-प्रथम की उपरोक्त
वाटों की कुल भूमि 425 बीघा 02 गिस्ता ।



पीठासीन अधिकारी:- 1- श्री वी०एम०कर्मा, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज०, जयपुर ।

पक्षकारानु:-

- 1- भूमि के सम्बन्धित खातेदार एवं न्यू रिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर जरिये मंत्री ।
- 2- राजस्थान आवासन मण्डल जरिये श्री एन०के०सेठी, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, एवं श्री जे०के० सिंघी, एडवोकेट ।

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् आवासीय कॉलोनी ग्राम झालानाचौड़, देवरी, मानपुर उर्फ गोल्यावास जिला जयपुर की 2570 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्ति करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जायेगा, की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये जिसकी अधिसूचना क्रमांक: प०71721नविआ/11/81 दिनांक 12-1-82 को जारी की गई, जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 13-1-82 को प्रकाशित की गई है ।

2- तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि को अवाप्ति की अतिआवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 "ती" उपधारा 11 में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक: प०71721नविआ/11/81 दिनांक 9-2-82 को राजस्थान राजपत्र में भाग 11 में दिनांक 9-2-82 को प्रकाशित हुई, के द्वारा अधिभूत किया ।

3- धारा 17(4) की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् नियमानुसार सम्बन्धित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 9(1) के नोटिस दिनांक 5-5-82 को जारी किया गया। उक्त नोटिस जारी होने के 15 दिवस के पश्चात् भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गयी ।

विद्वारी
एवं आवासन विभाग
जयपुर

4- उपरोक्त कार्रवाई के पश्चात् सम्बन्धित खातेदारों को अधिनियम की धारा 9131 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर सम्बन्धित खसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया ।

5- वर्तमान में उपरोक्त में से निम्नलिखित भूमि का अवार्ड दिया जा रहा है । अवार्ड दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	वाट संख्या	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा वीघा विस्था
1-	1/021421	श्री रामसिंह पुत्र गोवर्धनसिंह ग्राम झालानाचौड ।	1	40 - 00
2-	1/021731	श्री देवनारायण पुत्र हरदेव	321	3 - 18
			330	7 - 03
				11 - 01
3-	1/021741	श्री सुखा पुत्र मुन्ना ग्राम देवरी ।	322	3 - 17
			340	8 - 00
				11 - 17
4-	1/021751	श्री नाथू पुत्र तालू ग्रामदेवरी	323	12 - 07
5-	1/021761	श्री रघुनाथ पुत्र विरदा 1/2 रामनारायण पुत्र रघुनाथ ग्राम देवरी ।	324	12 - 08
6-	1/021771	श्री लादू पुत्र प्रताप 1/2, सोहन पाँच्या, छोदू, भगवानसहाय पुत्र हरदत्त, प्रभुपुत्र चौधू ना.वा. संरक्षक नैना देवा चौधू ग्राम देवरी ।	326	11 - 00
7-	1/021781	श्री विरदा पुत्र पेमा ग्रामदेवरी	331	11 - 15
8-	1/021791	श्री किशनलाल पुत्र राममाल 1/3 लादूराम पुत्र किशनलालग्रामदेवरी	332	23 - 10

महाराष्ट्र
एक आवासन विभाग
मुंबई, बंगलूर

-----4:-----

1-	2-	3-	4-	5-	6-
9-	1/021001	झुंथा पुत्र रामलाल 1/3, गोकुल पुत्र झुंथा 1/3 भूरा पुत्र झुंथा 1/3 ग्राम देवरी ।	333	26	- 05
10-	1/021011	श्री नारायण, गोदू पुत्र सुखा ग्राम देवरी ।	335	22	- 07
11-	1/021021	श्री केशोर, रामू, लाला, गोदू, पुत्र मूलका, ग्राम देवरी ।	337	11	- 10
12-	1/021031	चौधू पुत्र भुलाना ग्राम देवरी ।	336	11	- 00
13-	1/021061	सत्यनारायण, दीपचन्द, कमल- प्रताप पि० भैरु, दामोदर पुत्र भैरु ग्राम देवरी ।	349	20	- 10
14-	1/021071	भौरिया पुत्र गणेश 1/2, प्रभुदयाल पुत्र पन्नालाल 1/2, ग्राम देवरी ।	350	20	- 13
15-	1/021081	श्री बाबू पुत्र नाथू 1/2, भौरिया पुत्र नानगा 1/2, ग्राम देवरी ।	353	21	- 07
16-	1/021091	गोपी पुत्र नाथू ग्राम देवरी	355	22	- 01
17-	1/021931	भागचन्द, प्रताप पुत्र झुंथा ग्राम देवरी ।	367	18	- 18
18-	1/021941	श्री मोती, लक्ष्मण पुत्र रामदेव सुरजू देवा रामदेव, हि. 1/2, चुन्नीलाल, गंगल पुत्र धन्ना ग्राम देवरी ।	368	21	- 10
19-	1/021971	श्री लादू, किशना, आनन्दा पुत्र भूरा, ग्राम देवरी ।	374	12	- 05
20-	1/021991	श्री गोपाल पुत्र विरदा ग्राम देवरी	379	8	- 08

श्री गणेश्वरी
विक्रम एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमः--5--

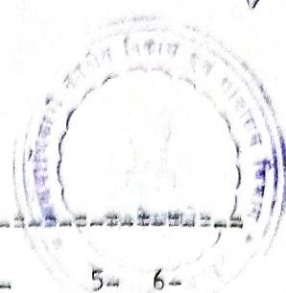


1- 2- 3- 4- 5- 6-

- 9- 1/021001 बूँथा पुत्र रामलाल 1/3, गोकुल 333 26 - 05
पुत्र बूँथा 1/3 भूरा पुत्र बूँथा 1/3
ग्राम देवरी ।
- 10- 1/021011 श्री नारायण, गोदू पुत्र सुखा 335 22 - 07
ग्राम देवरी ।
- 11- 1/021021 श्री किशोर, रामू, लाला, गोदू, 337 11 - 10
पुत्र मूल्या, ग्राम देवरी ।
- 12- 1/021031 चौधु पुत्र भुवानाग्राम देवरी । 336 11 - 00
- 13- 1/021061 सत्यनारायण, दीपचन्द, कमल- 349 20 - 10
प्रसाद पि० भैरू, दामोदर पुत्र
भैरू ग्राम देवरी ।
- 14- 1/021071 भौरिया पुत्र गणेश 1/2, 350 20 - 13
प्रभुदयाल पुत्र पन्नालाल 1/2,
ग्राम देवरी ।
- 15- 1/021081 श्री दावू पुत्र नाथू 1/2, 353 21 - 07
भौरिया पुत्र नानगा 1/2,
ग्राम देवरी ।
- 16- 1/021091 गोपी पुत्र नाथू ग्राम देवरी 355 22 - 01
- 17- 1/021931 भागचन्द, प्रताप पुत्र बूँथा 367 18 - 18
ग्राम देवरी ।
- 18- 1/021941 श्री मोती, लक्ष्मण पुत्र रामदेव 368 21 - 10
सुरजू देवा रामदेव, हि. 1/2,
चुन्नीलाल, मंगल पुत्र धन्ना ग्राम
देवरी ।
- 19- 1/021971 श्री लादू, किशना, आनन्दा पुत्र 374 12 - 05
भूरा, ग्राम देवरी ।
- 20- 1/021991 श्री गोपाल पुत्र गिरदा 379 8 - 08
ग्राम देवरी

शेखाधिकारी
विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

---:1544



1- 2- 3- 4- 5- 6-

21- 1/0211021 श्री रामनारायण चौधरी मानपुर 351/429 12 - 00
 देवरी उर्फ गोल्यावास । 352/424 3 - 00
 371/427 1 - 00
 353/428 1 - 09
 370/426 1 - 12

 19 - 01

नोट:- खसरा नं०-353/428 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा तथा खसरा नं०-
 370/426 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का कब्जा प्राप्त नहीं किया
 गया है ।

22- 1/02111पार्ट-131 - ग्राम सुखालपुरा :-

अ- श्री कजोड, मंगलचन्द विरदीचन्द 212/1 6 - 04

बुढाराम, रामचन्द्र, मोहन पुत्र 213/1 9 - 06
 भगता ।

ब- मोहरू पुत्र चन्दा 212/2 7 - 11

213/2 8 - 09

स- रामू पुत्र रंगनाथ, गणेश पुत्र 218/1 4 - 04
 218/2 20 - 05

नाथी देवा लक्ता, घीसी पुत्री

लक्ता ।

नोट:- स्थगन आदेशों के कारण इन खसरा नम्बरों का कब्जा प्राप्त
 नहीं किया गया है ।

शेखाधिकारी
 विकास एवं आवासन विभाग
 राजस्थान, जयपुर

5- इन सभी मामलों में विशेष बात यह है कि इन सभी मामलों में
 न्यायालय के स्थगन आदेश मानते हुये मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही रुकी
 हुई थी। माह सितम्बर, 1980 में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा
 इस न्यायालय को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि इन मामलों में स्थगन -

---:67:---



-आदेश नहीं है। तथा कार्यवाही अदिलत प्रारम्भ की जाकर मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निष्पत्ति किया जाये। उक्त पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त सभी पत्रावलियों में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर एवं तुना जाकर मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की गयी।

6- उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में तो उपरोक्त छातेदारों के नामों अंकित है किन्तु न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० जयपुर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष सम्बन्धित छातेदारों के शपथ पत्र व अनुबन्ध पत्र आदि प्रस्तुत किये गये जिनमें सम्बन्धित छातेदारों द्वारा यह निवेदन किया गया है कि यह भूमि उनके द्वारा समिति को विक्रय कर दी गयी है। आगे समस्त कार्यवाही हेतु समिति को पूर्ण अधिकार है। अतः इस आधार पर इन मामलों में समिति को इन्ट्रेस्टेड पर्सन माना गया एवं उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। केवल वाद संख्या: 1/021871 व 1/021111 पार्ट-131 व 1/021801/3 भाग में समिति द्वारा प्रस्तुत पत्रादि अपूर्ण होने के कारण छातेदारों के हक में कार्यवाही की जाती है।

7- उपरोक्त सुनवाई के दौरान समिति द्वारा अपने क्लेम पेश किये गये जो पत्रावलियों में संलग्न है, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा क्लेमों का जवाब पेश किया गया तथा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स आदि के तकमीने पेश किये गये जो सम्बन्धित पत्रावलियों में संलग्न है।

धिकारी
एवं आवासन विभाग
स्वात, जयपुर

8- मेरे द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वह सुनी गयी। तत्पश्चात् मौका मुआवजा भी किया गया। यह भूमि राजस्थान आवासन मण्डल मानसरोवर-प्रथम योजना से सम्बन्धित है इस योजना की अन्य कई मामलों में भूमि के अवार्ड जारी किये जा चुके हैं जिनमें राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान किया जा चुका है। मैं वर्तमान मामलों में भी पूर्व में टी गयी दर को ही उचित मानता हूँ। अतः वर्तमान मामलों में भी अतिरिक्त भूमि की दर पूर्व की यानि 19,000/- रुपये प्रतिवीघा, तिचित भूमि की दर रुपये-20,000/- रुपये प्रतिवीघा तथा रोड़ के किनारे स्थित भूमि का रुपये-1000/- प्रतिवीघा अतिरिक्त दिया जाना न्यायोचित मानता हूँ।



-----:7:-----

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर भूमि के मुआवजे का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:-

1- वाद संख्या:-1/021421:-

1- कुल भूमि रकबा 40 बीघा का मुआवजा रुपये-20,000/-
प्रतिबीघा की दर से रुपये- 8,40,000.00

2- कूँ, पेड़, कोरिंग, पक्का निर्माण का
तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार: 1,68,824.85

10,08,824.85

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 3,02,647.44.

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

2- वाद संख्या:-1/021731:-

1- कुल भूमि रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा का मुआवजा रुपये-
19,000/-प्रतिबीघा की दर से रुपये- 2,09,950.00

2- डोला, पेड़ आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

1,841.52

2,11,791.52

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 63,537.46

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

3- वाद संख्या:-1/021741

1- कुल भूमि रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा का मुआवजा
रुपये-20,000/-प्रतिबीघा की दर से रुपये- 2,37,000.00

2- डोले, पेड़, एसीपाईम, झोपड़ी आदि का तकमीना

राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 7,412.20

2,44,412.20

कुल:-0-

धिकारी
राजस्थान आवासन विभाग
जयपुर

---:0:---



3- 30% सोलेक्विम की राशि रुपये- 73,323.66

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

4- वाद संख्या:-1/021751:-

1- कुल भूमि रकबा 12वीं घा 07 विस्वा का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 2,47,000.00

2- कूँ, पेड, डोले, झौपडी आदि का तकमीना

राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु. 30,364.90

2,77,364.90

3- 30% सोलेक्विम की राशि रुपये- 83,209.47

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

5- वाद संख्या:-1/021761:-

1- कुल भूमि रकबा 12वीं घा 08 विस्वा का मुआवजा

रुपये 19,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 2,35,600.00

2- डोला, पेड आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल

के अनुसार रुपये- 1,937.50

2,37,537.50

3- 30% सोलेक्विम की राशि रुपये- 71,261.25

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

6- वाद संख्या:- 1/021771:-

1- कुल भूमि रकबा 11वीं घा का मुआवजा रुपये-19,000/-

प्रतिघा की दर से रुपये- 2,09,000.00

क्रम:-9---

विशेषाधिकारी
पंच विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

---:19:---



2- डोले, पेड़, आदि का तकमीना राजस्थान
के अनुसार रुपये-

2,015.20

2,11,015.20

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 63,544.56

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। जिसकी गणना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

7- बाद संख्या:- 1/021781:-

1- कुल भूमि रकबा 11वीं घा 15निस्वा का मुआवजा रुपये-

19,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 2,23,250.00

2- डोले, पेड़ आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

1,357.50

2,24,607.50

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 67,382.25

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

8- बाद संख्या:- 1/021791:-

शोधिकारी

विकास एवं आवासन विभाग - कुल भूमि 23वीं घा 10निस्वा का मुआवजा रुपये-20,000/-
राजस्थान, जयपुर प्रतिघा की दर से रुपये- 4,70,000.00

2- कूआँ, रसीपाईय, डोला, पेड़, झौपडी आदि

का तकमीना राजस्थान के अनुसार रु. - 25,723.57

4,95,723.57

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,40,717.07

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी
गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

क्रमश:-10--

---:10:---



9- वाद संख्या: 1/021001:-

- 1- कुल भूमि रकबा 26वीं घा 05 विस्वा का मुआवजा रूपये- 5,25,000.00
20,000/-प्रतिवीं घा की दर से रूपये-
- 2- कूआँ, डोला, पेड़, छुमटी आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु - 45,317.35

5,70,317.35

3- 30% सोलेक्षियम की राशि रूपये- 1,71,095.20

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देा होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

10- वाद संख्या:- 1/021011:-

- 1- कुल भूमि रकबा 22वीं घा 07 विस्वा का मुआवजा रूपये- 4,47,000.00
20,000/-प्रतिवीं घा की दर से रूपये-
- 2- कूएँ, डोला, पेड़, झोपडी आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु. 41,104.05

4,88,104.05

3- 30% सोलेक्षियम की राशि रूपये- 1,46,455.21

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

अधिकारी
राजस्थान आवासन विभाग
जयपुर

11- वाद संख्या:- 1/021021:-

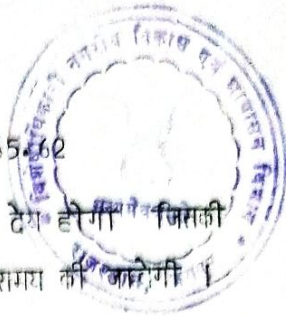
- 1- कुल भूमि 11वीं घा 10 विस्वा का मुआवजा रूपये- 2,18,500.00
19,000/-प्रतिवीं घा की दर से रूपये-
- 2- डोले व पेड़ आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 710.75

2,19,210.75

---:11:---

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 65,765.62

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।



12- वाद संख्या:- 1/821031:-

1- कुल भूमि 11वीं घा का मुआवजा रुपये-19,000/-

प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 2,09,000.00

2- पेड़, डोले आदि का तकमीना राजस्थान

आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 1,981.17

 2,10,981.17

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 63,294.35

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

13- वाद संख्या:- 1/821061:-

1- कुल भूमि रकबा 20वीं घा 10विस्वा का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 4,10,000.00

2- कूँ, डोला, झोपडी, धोरा पेड़, आदि का

तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु. 33,200.00

 4,43,200.00

कार्यकारी

आवासन विभाग

जयपुर

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,32,960.18

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

14- वाद संख्या:- 1/821071:-

1- कुल भूमि रकबा 20वीं घा 13विस्वा का मुआवजा

रुपये-20,000/-प्रतिवीं घा की दर से रुपये- 4,13,000.00

2- डोला, कुआँ, टैंक, पेड़, झोपडी आदि का

मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल के

अनुसार रुपये-

 35,665.90

---:12:---

4,41,665.90

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,34,599.77

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

15- वाद संख्या:- 1/021001:-

1- कुल भूमि रकबा 21वीं घा07 विस्वा का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिवीघा की दर से रुपये- 4,27,000.00

2- कूँ, पेड़, झौपड़ी आदि का तकमीना राजस्थान

आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 44,639.00

4,71,639.00

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,41,491.96.

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

16- वाद संख्या:- 1/021091 :-

1- कुल भूमि रकबा 22वीं घा01 विस्वा का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिवीघा की दर से रुपये- 4,41,000.00

2- कूँ, डोले, पेड़, झौपड़ी, रसीवाई आदि

का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल

के अनुसार रुपये-

30,023.90

4,79,023.90

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये- 1,43,707.17

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

10- वाद संख्या:- 1/021931:-

1- कुल भूमि रकबा 10वीं घा10 विस्वा का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिवीघा की दर से रुपये- 3,70,000.00

क्र.सं:-13--

विशे अधिकारी
सम विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

-----:13:-----

2- कुआँ, पेड़, डोले आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये-

25,153.37

4,03,153.37

3- 30% सोलेक्शियम की राशि रुपये- 1,20,946.01

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी
गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

19- ताद संख्या:- 1/021941:-

1- कुल भूमि रकबा 21वीं घा 10 बिस्वा का मुआवजा

रुपये-20,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 4,30,000.00

2- कुएँ, डोला, एसीपाईप, निर्माण आदि का

तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु- 39,506.49

4,69,506.49

3- 30% सोलेक्शियम की राशि रुपये- 1,40,051.94

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी
गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

20- ताद संख्या:- 1/021971:-

1- कुल भूमि रकबा 12वीं घा 05 बिस्वा का मुआवजा रुपये

20,000/-प्रतिघा की दर से रुपये- 2,45,000.00

2- कुआँ, डोला, पेड़, झौपड़ी आदि का तकमीना

राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रुपये- 31,033.47

2,76,033.47

3- 30% सोलेक्शियम की राशि रुपये- 02,010.04

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

क्रम:- 14-

शेषाधिकारी
विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

21- वाद संख्या/-1/021991:-

1- कुल भूमि अतीषाधिकित्वा का मुआवजा स्वरूप:-

20,000/-प्रतिग्रीष्म की दर से हाथे- 1,60,000.00

2- डोला, कूआँ, पेड, झौगडी आदि का मुआवजा

राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रु०- 22,159.00

1,90,159.00

3- 30% सोलेजियम की राशि रुपये- 57,047.70

उपरोक्त राशि पर निम्नानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन गण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

22- वाढ संख्या:-1/0211021:-

1- कुल भूमि रकबा 16वीघा का मुआवजा रूपसे-

20,000/-प्रतिवीघा की दर से ह्मये- 3,20,000.00

2- कुआ, पेड़, डोला, टैंक, एसीपाईप आदि का

तकमीना रा0आ0मण्डल के अनुसार रुपये- 35,486.00

3,55,486.00

3- 30% सोलेफ़ियम की राशि रुपये- 1,06,645.00

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना

राजस्थान आवासन गण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

23- दाद संख्या:-1/0211 पार्ट-13:-

अ-1- कुल भूमि रकबा 15वीघा। 0विस्वा का गुआदजा रूपये-

20,000/-प्रतिवर्ष की दर से स्थाये- 3,10,000.00

व- कुल भूमि रकबा 20वीघा05चिस्ता का मुआवजा रुपये-

20,000/-प्रतिवीघा की दर से स्थाये- 4,04,000.00

स- कुल भूमि रकबा 20वीछा 05विस्वा का मुआदजा रूपसे-

20,000/- प्रतिनिष्ठा की दर से रुपये- 4,05,000.00

தகவல்:-15-

आधिवारी
कास एवं आदासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

-----:15:-----



राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्त भूमि पर स्थित झोपड़ियाँ, छूआँ, टैंक, पेड़ आदि का सम्मिलित तकमीना रुपये-56,423.90 का प्रस्तुत किया है, जो खातेदारों को उनके अपने अपने हिस्से के अनुसार देय होगा, तथा भूमि की कीमत व हिस्सेदार तकमीना जोड़कर 30% सोलेजिया राशि व बंजर आदि का नियमानुसार देय होंगे जिनकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

उपरोक्त अर्वाई राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ग्रुप-उविभाग के पत्र क्रमांक: 007172/नविआ/3/81 दिनांक 31-12-88 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गई है। अतः आज दिनांक ²⁻¹⁻⁸⁹ 31-12-88 को भूमि के मुआवजे का अर्वाई उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता है। इसकी प्रतियाँ सम्बन्धित को नियमानुसार प्रेषित हैं।

विशेष अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

अर्वाई सरे इजलास घोषित किया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर के साथ जारी किया गया।

विशेष अधिकारी,

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- 1- श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
- 2- सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 3- तहसीलदार -----
- 4- सम्बन्धित खातेदार श्री

विशेष अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।